रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 1974/ज्येष्ठ 2, 1896

No. 233] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 1974/JYAISTHA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

14 JUN 1974

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd May 1974

S.O. 317(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and 4A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) *Fourth* Amendment Order, 1974.

2. In Part V of Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955, against S. No. 86, for the existing entry in Column (3), the following entries shall be substituted, namely:—

"75 and 75(4)"

[No. 5/74]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 मई, 1974

एस० ओ० 317 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 और 4 ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) आदेश, चतुर्थ संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए ।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची—1 में भाग—5 में क्रम संख्या 86 के सामने कालम (3) में विद्यमान प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"75 और 75(4)"

[सं० 5/74]

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974